बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

(छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय)

राज्य खिलाड़ी कल्याण कोष

विज्ञापन

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार के युवा कार्य एवं खेल निदेशालय के लिए वित्तीय वर्ष 2022—23 में **खिलाड़ी कल्याण कोष** से सहायता राशि के स्वीकृति का प्रावधान है। इस मद् से राशि स्वीकृति हेतु राज्य के उत्कृष्ट/प्रतिभावान खिलाड़ियों से निम्न प्रावधानों एवं नियमों के अंतर्गत दिनांक 05.03.2023 के अपराह्न 5.00 बजे तक विभागीय वेबसाईट **State. bihar. gov.in/yac** पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाता है :—

1. **पात्रता :—**

(क) इस योजना का लाभ, अभावग्रस्त, बेरोजगार अथवा/मानदेय/संविदा के आधार पर अधिकतम **₹** 15,000 प्रतिमाह तक पर कार्यरत सरकारी/गैर सरकारी उत्कृष्ट/प्रतिभावान बिहार निवासी खिलाड़ी प्राप्त कर सकेंगे।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त खेल में दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि में राज्य के खिलाड़ियों की प्रतिभागिता अथवा पदक प्राप्तकर्ता खिलाड़ी।

निम्नलिखित तीन श्रेणी में सहायता राशि हेतु आवेदन दिया जा सकता है :—

2. **चिकित्सा/उपचार हेतु सहायता राशि**

(क) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट/प्रतिभावान खिलाड़ी,जो प्रशिक्षण अवधि अथवा प्रतियोगिता अवधि में चोटग्रस्त होने अथवा अन्यान्य कारणों से मानसिक/शारीरिक रूप से खेलने में अयोग्य हो गये हों, उन्हें चिकित्सा उपचार हेतु आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता प्रदान करना (one time)।

(ख) वैसे खिलाड़ी जो प्रतियोगिता/प्रशिक्षण अवधि में अस्थायी रूप से चोटिल हो गये हों उन्हें चिकित्सा उपचार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। घटना के संदर्भ हेतु राज्य खेल संघ/प्रशिक्षक/प्रतियोगिता रेफरी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र के साथ साथ चिकित्सक का प्रमाणपत्र एवं विपत्र समर्पित करना होगा।

(ग) अन्य वैसे लाभ प्रदान करना जो उपरोक्त लक्ष्यों के लिए प्रासंगिक हो।

3. **खेल उपकरण/किट्स हेतु सहायता राशि**

(क) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागिता एवं राष्ट्रीय स्तर पर बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए व्यक्तिगत/दलीय खेल स्पर्धा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी अथवा राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले (सहभागिता) खिलाड़ियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

(ख) राष्ट्रीय खेल संघों के मिनी/सब जूनियर एवं जूनियर स्तर की खेल प्रतियोगिता में व्यक्तिगत/दलीय खेल स्पर्धा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों अथवा राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

4. **डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग हेतु सहायता राशि**

राज्य के वैसे उत्कृष्ट खिलाड़ी को प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपनी सेवा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, पटियाला, कोलकाता, बंगलोर एवं अन्य संबद्ध संस्थानों से डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग प्राप्त करने के लिए सहायता राशि प्रदान की जायेगी।

संस्थान में नामांकन उपरांत संस्था के प्रधान द्वारा संस्थान के द्वारा निर्धारित शुल्क का ब्योरा अनुशंसित करा कर संलग्न करते हुए इच्छुक खिलाड़ी को आवेदन करना होगा।

5. आवेदन पत्र संबंधित राज्य खेल संघ/विश्वविद्यालय/बिहार राज्य खेल प्राधिकरण/जिला खेल पदाधिकारी/उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से अनुशंसित होना अनिवार्य है।
6. सहायता की स्वीकृति विभागीय समिति द्वारा की जायेगी। समिति का निर्णय अंतिम होगा।
7. अनुसूचित जाति के आवेदक को जाति प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. इस योजना हेतु उपबंधित कुल राशि का 10 प्रतिशत निःशक्त खिलाड़ियों के लिए कर्णांकित होगा।
9. बिहार के निवासी होने का सक्षम प्राधिकार से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. इस कोष से राशि की स्वीकृति विभागीय आदेश सं0—712, दिनांक 14.06.13 के आधार पर की जायेगी।

23/02/23

(सुषमा कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।